पवन तिवारी

एडवोकेट

एम0ए0,बी0एड0,एल0एल0बी0,टी0ई0एम0 सामाजिक,आर0टी0आई0,बाल अधिकार संरक्षण कार्यकर्ता

निवास–अग्रवाल मण्डी टटीरी,जनपद–बागपत
उत्तर प्रदेश, पिन कोड–250601
ईमेल–pawantiwar84@gmail.com

कार्यालय–चैम्बर नं0–44, प्रथम तल,
बी0–ब्लाक,जिला एवं सत्र न्यायालय बागपत
जनपद बागपत,उत्तर प्रदेश–250609

मोबाईल नं0 – 09058860009

पत्रांक :830/2017

दिनांकः–28.09.2017

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 6(1)के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध

सेवा में,

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का पदनाम और कार्यालय का पता
श्रीमान परिवहन मंत्री महोदय जी,
भारत सरकार,नई दिल्ली–110001

O/o Minister (RTH)
Diary No. 12496851/2
Date 6/10/17

1.आवेदक का पूरा नाम–राजन जैन
2.पिता/पति का नाम–श्री ज्ञानचन्द जैन
3.पता–निकट शुगर मिल,मेरठ रोड बागपत,तहसील व जिला–बागपत,उ0प्र0–250609
4.ई–मेल पता,यदि कोई हो– नही
5.दूरभाष संख्या और/या मौबाइल संख्या–09412336929
6. मांगी गयी सूचना का ब्यौरा(यदि आवश्यक हो तो पृथक पृष्ठ भी संलग्न करे)–

विशेष :–श्रीमान जी प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.09.2017 को आपके समक्ष श्रीमान अपर परिवहन आयुक्त(स.सु./आई.टी.)परिवहन विभाग,लखनऊ के कार्यालय के पत्र के सम्बन्ध में शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 11.09.2017 तथा श्रीमान अपर परिवहन आयुक्त(स.सु./आई.टी.)परिवहन विभाग,लखनऊ के कार्यालय के पत्र तथाकथित दिनांक 24.08.2017 की छाया प्रति संलग्न है। संलग्नक का अवलोकन करते हुए नीचे लिखे हुए बिन्दुओ पर सूचनाऐ प्रदान करे।

(1)यह कि प्रार्थी के संलग्न प्रार्थना पत्र पर आपके द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है? की गयी कार्यवाही की सूचना प्रदान करे।

(2)यह कि प्रार्थी के संलग्न प्रार्थना पत्र पर आपके द्वारा क्या आदेश पारित किये गये है? पारित आदेशो की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" धारा 2(च,ञ) ,सपठित धारा 4,6,7 के अन्तर्गत प्रदान करे।

(3)यह कि प्रार्थी के संलग्न प्रार्थना पत्र पर आपके द्वारा क्या जांच समिति गठित की गयी है? यदि गठित की गयी है तो जांच समिति द्वारा जो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है,उक्त जांच रिपोर्ट की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" धारा 2(च,ञ) ,सपठित धारा 4,6,7 के अन्तर्गत प्रदान करे।

(4)यह कि प्रार्थी के संलग्न प्रार्थना पत्र पर आपके द्वारा की गयी जांच में कौन–कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी पाये गये है? दोषी पाये गये अधिकारी एवं कर्मचारी के नाम एवं पता तथा पदनाम की भी सूचना प्रदान करे।

(5)यह कि प्रार्थी के संलग्न प्रार्थना पत्र पर यदि आपके द्वारा कोई जांच समिति गठित नही की गयी है,तो किस कारण गठित नही की गयी है ? कारण बताना " सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" धारा 8,9 सपठित धारा 4,6,7,10 के अन्तर्गत अति आवश्यक है।

(6)यह कि प्रार्थी के संलग्न प्रार्थना पत्र पर आपके द्वारा की गयी जांच में जो–जो अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी पाये गये है दोषी पाये गये अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध क्या कानूनी(प्रथम सूचना रिपोर्ट) एवं विभागीय कार्यवाही की गयी है ?कृत्य कार्यवाही की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि "सूचना का अधिकार अधिनियन 2005" धारा 2(च,ञ) ,सपठित धारा 4,6,7 के अन्तर्गत प्रदान करे।

(7)यह कि आपके कार्यालय के जन सूचना अधिकारी ,सहायक जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पता "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" की धारा 7(8) 3 सपठित धारा 4,7,10,18 के अन्तर्गत प्रदान करें।

7.क्या वांछित सूचना व्यक्ति के जीवन या उसकी स्वतंत्रता से सम्बन्धि है : हॉ/नही 'यदि हॉ' तो उसका कारण–हॉ ,चूंकि मांगी गयी सूचना में असीमित मानव के जीवन एवं स्वतन्त्रता का प्रश्न निहित है। प्रार्थी द्वारा मॉगी गयी उपरोक्त सूचना को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लोकहित याचिका में दाखिल करने हेतु अतिशीघ्र आवश्यकता है।

8.जमा की गयी फीस का ब्यौरा–भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या–37 एफ–328922 अंकन धनराशि 10.00 रूपये, संलग्न है।

9.क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे(बी.पी.एल.) की श्रेणी का है? हॉ/नही–नही
(यदि हॉ तो बी.पी.एल.प्रमाण पत्र संलग्न करे)

10.संलग्नको की सूची–005(पत्र,भारतीय पोस्टल ऑर्डर)

स्थान–निकट शुगर मिल,मेरठ रोड बागपत,तहसील व जिला–बागपत,उ0प्र0–250609

दिनांक–28.09.2017

RTI application is to be routed through RTI section.

राजन जैन
आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

O/o Minister (RT&H)
Received on 6/10

द्वारा अधिवक्ता

पावती

राजन जैन पुत्र श्री ज्ञानचन्द जैन,निवासी–निकट शुगर मिल,मेरठ रोड बागपत,तहसील व जिला–बागपत,उ0प्र0–250609 से दिनांक..............................को "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" की धारा 6(1) के अधीन सूचना की मांग हेतु आवेदन पत्र जो कमांक ......पर पंजीकृत है,प्राप्त किया।

दिनांक.....................

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का
हस्ताक्षर और पूरा नाम
प्राधिकारिक मुद्रा

राजा(राजन) जैन, भारती जैन, ज्ञानचन्द जैन एवं सन्नी के नाम दर्ज करायी गयी थी। फलतः पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

6. शिकायतकर्ता द्वारा बार–बार वाट्स अप व अन्य सोशल साईट पर विभाग की शिकायत की जाती रही है, जिसका संज्ञान लेते हुये दिनांक 17.08.2016 को सहा0 सम्भागीय परिवहन कार्यालय, बागपत का निरीक्षण जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया गया। जिलाधिकारी, बागपत द्वारा परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पत्र प्रेषित करते हुये यह अवगत कराया था कि राजा जैन द्वारा अनियमितता किये जाने के आरोप में ड्राइविंग स्कूल निरस्त होने तथा इनके एवं इनके रिश्तेदारों की मा0 न्यायालय के आदेशानुसार दलाली रूक जाने के कारण आये दिन अपने एवं फर्जी नामों से विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों पर दबाव बनाने हेतु शिकायतें करते हैं। संलग्नक–4

7. शिकायतकर्ता राजा जैन व इनके भाई के विरूद्ध उप संभागीय परिवहन कार्यालय में गुण्डागर्दी करने के आरोप में गुण्डा उन्मूलन एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए 06 माहों के लिए जिला बदर किया गया है। आदेश की प्रति संलग्न है। संलग्नक–5

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायत सत्य से परे एवं तथ्यहीन प्रतीत होती है। अतः उक्त शिकायत को निक्षेपित करने पर विचार करना चाहें।

भवदीय,

(गंगाफल)
अपर परिवहन आयुक्त(स0सु0/आई0टी0)
उत्तर प्रदेश।

पृ0संख्या– 9260 स0सु0/2017–समदिनांकित।

रेड पोस्ट प्रतिलिपि– श्री राजन जैन, पुत्र श्री ज्ञानचन्द जैन, निकट शुगर मिल बागपत, मेरठ को सूचनार्थ।

(गंगाफल) 6/7/17
अपर परिवहन आयुक्त (स0सु0/आई0टी0)
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं0-- स0सु0/2017-97स0सु0/2016

प्रेषक,

अपर परिवहन आयुक्त (स0सु0/आई0टी0),
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

उप सचिव,
परिवहन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
सचिवालय, लखनऊ।

प्राविधिक अनुभाग

लखनऊःदिनांक- 25 जुलाई, 2017

विषयः– आर0टी0ओ0 कार्यालय मेरठ के अधिकारियों के विरूद्ध शिकायत की जॉच के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र सं0–सी0एम0–01/तीस–3–2017–11 जी0सी0/2017, दिनांक–15.05.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री राजा जैन/राजन जैन, पुत्र श्री ज्ञान चन्द्र जैन, साइकिल वाले मेरठ रोड निकट शुगर मिल बागपत के शिकायती पत्र दिनांक 23.03.2017, जिसमें सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मेरठ के अधिकारियों के विरूद्ध झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर ट्रेनिंग स्कूल बन्द करवाये जाने का आरोप लगाया गया है, जिसके द्वारा उप परिवहन आयुक्त(परिक्षेत्र), मेरठ से यह अपेक्षा की गई थी कि आर0टी0ओ0 कार्यालय मेरठ के अधिकारियों के विरुद्ध झूठा मुकदमा की जांच करवाकर शासन को अवगत करायें।

उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण की जॉच हेतु उप परिवहन आयुक्त(परिक्षेत्र), मेरठ को पत्र संख्या–07(जी0)स0सु0/2017–97स0सु0/2016, दिनांक 18.05.2017 द्वारा प्रकरण में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल्स का लाइसेंस उप परिवहन आयुक्त(परिक्षेत्र), द्वारा ही दिया जाता है, अतः लाइसेंस प्राधिकारी के रूप में 30 मई 2017 तक प्रकरण की जांच कर सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मेरठ द्वारा अपने पत्र संख्या–105/परिक्षेत्र/प–16 (पत्रा0) रा0जैन/2017, दिनांक 29.05.2017 द्वारा निम्न आख्या प्रेषित की गई है:–

1. शिकायतकर्ता श्री राजन उर्फ राजा जैन पुत्र श्री ज्ञानचन्द जैन का मैसर्स ज्ञानचन्द जैन के नाम से मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल संचालित था, जिसके विरुद्ध विभिन्न स्रोतों से अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हो रही थी, जिसके क्रम में तत्काल

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन), एवं सम्भागीय निरीक्षक(प्राविधिक), बागपत द्वारा दिनांक 26.05.2015 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय पायी गयी कमियों का उल्लेख करते हुये सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन), बागपत ने अपने पत्र संख्या–1068 दिनांक 27.05.2015 को निरीक्षण आख्या सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मेरठ के साथ–साथ उप परिवहन आयक्त(परिक्षेत्र), मेरठ को प्रेषित की गयी थी।

2. सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन), बागपत द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 27.05.2015 पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मेरठ ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या–142/एसटी/ड्रा0ट्रे0स्कूल/बागपत/2015 दिनांक 10.06.2015 के द्वारा संदर्भित ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की मान्यता निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी है। उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या–665/परिक्षेत्र/ज्ञानचन्द जैन मोटर/2015, दिनांक 25.06.2015 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर एक सप्ताह में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु संस्थान स्वामी द्वारा तीन सप्ताह व्यतीत होने के उपरान्त भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु न तो इस कार्यालय में उपस्थित हुये और न ही डाक द्वारा लिखित उत्तर प्रस्तुत किया। सम्यक् विचारोपरान्त तत्कालीन उप परिवहन आयुक्त(परिक्षेत्र), मेरठ के पत्र संख्या 716/परिक्षेत्र/ज्ञानचन्द जैन मोटर/2016 दिनांक 14.07.2015 के द्वारा अनुज्ञप्ति संख्या 108/परिक्षेत्र मेरठ/2012 दिनांक 13.04.2012 को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दिया। संलग्नक–1

3. शिकायतकर्ता अपने मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के निरस्तीकरण से क्षुब्ध होकर याचिका संख्या–50504/2015 राजा जैन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विभिन्न आरोप लगाते हुये योजित किया था। मुख्यालय की अनुमति के पश्चात याचिका का विरोध करते हुये प्रति शपथ पत्र तत्कालीन सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन), बागपत द्वारा दाखिल किया। दिनांक 27.01.2016 को सुनवाई के दौरान याचिका को मा0 न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। संलग्नक–2

4. उक्त के अतिरिक्त शिकायतकर्ता ने न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत के यहाँ कतिपय आरोप लगाते हुए परिवाद संख्या 4026/2015 प्रस्तुत किया था, जिसको दिनांक 02.11.2015 को सुनवाई के उपरान्त प्रस्तुत परिवाद को बलहीन पाते हुए निरस्त कर दिया गया था। निरस्तीकरण आदेश की प्रति संलग्न है। संलग्नक–3

5. सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन), बागपत द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 16.02.2016 को श्री राजा जैन अपने अन्य साथियों के साथ कार्यालय में कर्मियों के साथ गाली–गलौच कर रहे थे, जिसका कार्यालय में उपस्थित रोजमार्टा के सुपरवाइजर, श्री मनोज कुमार के द्वारा विरोध करने पर शिकायतकर्ता राजा जैन, भारती जैन उनके पिता ज्ञानचन्द जैन एवं तथाकथित सन्नी जैन, शिवकुमार जैन, राकेश जैन एवं अन्य 4–5 अज्ञात दबंग व्यक्तियों द्वारा श्री मनोज कुमार, सुपरवाइजर पर जानलेवा हमला करते हुए लूटपाट की गयी। फलतः इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने अपराध संख्या 157/थाना बागपत पर दिनांक 16–02–2016 को धारा–332, 353, 307 एवं 392 में

सेवा मे,

माननीय परिवहन मंत्री महोदय जी,
भारत सरकार,नई दिल्ली–110001

विषयः–फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी एवं गलत जांच आख्या/रिपोर्ट भ्रष्टाचार को बढाने,फैलाने,दबाने हेतु उच्चाधिकारियों को फर्जी एवं गलत रिपोर्ट भेजने सम्बन्धी शिकायत एवं जांच कर दोषियो के विरूद्ध कानूनी एवं विभागीय कार्यवाही किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र

महोदय जी,

निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.03.2017 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय उ0प्र0 को सम्भागीय परिवहन कार्यालय मेरठ के कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा सम्भागीय परिवहन अधिकारी मेरठ एवं उपसम्भागीय परिवहन अधिकारी बागपत द्वारा प्रार्थी के वाहन चालन प्रशिक्षण विद्यालय की गलत एवं मिथ्या रिपोर्ट शासन को भेजने एवं फर्जी रिपोर्ट के आधार पर ही प्रार्थी के वाहन चालन प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता को निरस्त किया गया था,क्योकि सम्भागीय परिवहन अधिकारी मेरठ द्वारा 30,000/–रूपये प्रतिमाह रिश्वत की मांग की जा रही थी। जिसे देने से प्रार्थी द्वारा स्पष्ट इंकार कर दिया गया था। सम्भागीय परिवहन अधिकारी मेरठ एवं उनके कार्यालय तथा उपसम्भागीय परिवहन अधिकारी बागपत एवम उनके कार्यालय में चल रहे भ्रष्टाचार के विरूद्ध ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय उ0प्र0 को शिकायत की गयी थी। उक्त दोनो कार्यालय में भ्रष्टचार जडो में समा गया है एवं बिना पैसे लिये कोई कार्य नही किया जाता है। सम्भागीय परिवहन अधिकारी मेरठ तथा कार्यालय कर्मचारी के घर पर आयकर विभाग द्वारा छापेमारी की गयी है जिसमें भ्रष्टाचार के पूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए है। जिसमें जांच अभी जारी है। उक्त सम्बन्ध में मेरी शिकायत पर मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेशो पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी मेरठ एवं उनके कार्यालय के विरूद्ध जांच प्रारम्भ किये जाने का आदेश दिया गया था। परन्तु जांच नही की गयी है अपितु श्रीमान अपर परिवहन आयुक्त(स0सु0/आई0टी0),उ0प्र0 के कार्यालय से एक पत्र श्रीमान उपसचिव, परिवहन विभाग,उ0प्र0शासन, सचिवालय लखनऊ को झूठे एव मनगडंत, गलत ,असत्य तथ्यों को लिखित करते हुए भेजा गया है।उक्त पत्र में तीन पृष्ठ है, तीनो पृष्ठो पर अधिकारी के हस्ताक्षर भिन्न–भिन्न प्रकार है जो कि हस्ताक्षर के पश्चात काटे भी गये है,स्वतः फर्जी हस्ताक्षर स्पष्ट होते है तथा उक्त पत्र पर दिनांक शीर्ष पर 24,अगस्त ,2017 अंकित है। अगस्त जुलाई को काटकर हाथ से लिखा गया है।शीर्ष पर पत्र संख्या आगे रिक्त स्थान है उसके पश्चात स0सु0/2017–97स0सु0/2016 अंकित है।जबकि पत्र के अन्त में पत्र संख्या के स्थान पर पृ0संख्या लिखा गया है।पूर्ण रूप से पृ0सं0–926(1)स0सु0/2017–समदिनांकित लिखा गया है। शीर्ष पर अंकित पत्र संख्या एवं अन्त में अंकित संख्या एवं प्रारूप दोनो भिन्न–भिन्न एवं अलग है दोनो में ही दिनांक न तो शीर्ष पर अंकित है न ही अन्त में अंकित की गयी है। शीर्ष पर अंकित पत्र संख्या वर्ष 2016 अंकित है जबकि अन्त में अंकित पृष्ठ संख्या में 2016 अंकित ही नही है।उक्त पत्र पर लखनऊ के साथ दिनांक 24 अगस्त,2017 अंकित किया गया है जबकि श्रीमान अपर परिवहन आयुक्त(स0सु0/आई0टी0)उत्तर प्रदेश के हस्ताक्षर कर नीचे दिनांक भी गलत अंकित की गयी है एवं हस्ताक्षरो को काटा भी गया है।उक्त पत्र के समस्त तथ्य काल्पनिक ,गलत,असत्य एवं तरोड मरोड कर प्रस्तुत किये गये है जिनमें व्यक्तियों के नाम भी बढा चढा कर दिये गये है जबकि उन व्यक्तियों का किसी भी प्रकार का कोई भी वास्ता किसी भी प्रकार का नही रहा है। इस प्रकार से समस्त पत्र फर्जी एवं गलत है एवम शासन को गलत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। उक्त समस्त मामला सम्भागीय परिवहन अधिकारी मेरठ एवं उनके कार्यालय में लिप्त भ्रष्टाचार को छिपाने,बढाने हेतु किया गया है।उक्त प्रकरण की एवम भेजे गये पत्र,किये गये हस्ताक्षर,पत्र संख्या,पत्र में किये गये कथन की गम्भीरता से जांच करते हुए दोषियो के विरूद्ध कानूनी एवं विभागीय कार्यवाही की जानी अति आवश्यक है।

अतः श्रीमान जी से सादर प्रार्थना है कि भेजे गये पत्र, किये गये हस्ताक्षर,पत्र संख्या,पत्र मे किये गये कथन की तथा प्रकरण की गम्भीरता से जांच करते हुए दोषियो के विरूद्ध कानूनी एवं विभागीय कार्यवाही करने की कृपा करें।

दिनांकः–11.09.2017

संलग्नकः–श्रीमान परिवहन आयुक्त का पत्र

राजन जैन

प्रार्थी

राजन जैन पुत्र श्री ज्ञान चन्द जैन
निवासी–शुगर मिल बागपत, जिला–बागपत,उ0प्र0–250609
मो0– 9412336929

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
TRANSPORT BHAVAN, 1 PARLIAMENT STREET
NEW DELHI - 110001

Receipt No. 5300

Dated 16/10/12

Received RTI Application dated.............................

from Sh. Smt. / Mr. रमन गैन

along with application fee of Rs. 10/- (Rupees Ten only) / Fee of Rs. — (Rupees — only) for providing information under RTI Act 2005 in Cash / Demand Draft / Cheque / IPO No. 37F 328922

Dated ....

Signature / Receipt Official (IFC)